

अपने काम के अधिकारों को जानना

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप न्यूजीलैंड में किस कंपनी के लिए काम करते हैं, एक कर्मचारी के रूप में आपके पास कुछ निश्चित रोजगार के अधिकार हैं। ये सभी न्यूनतम अधिकार आपके वीजा की स्थिति या आपके रोजगार अनुबंध में लिखे गए सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अपने अधिकारों को जानना महत्वपूर्ण है, और क्या कदम उठाने चाहिए यदि आपको लगता है कि आपके अधिकार आपके नियोक्ता द्वारा नहीं मिल रहे हैं।

आपके प्रमुख रोजगार कानून अधिकार

1. उचित व्यवहार करने का अधिकार तथा एक सुरक्षित कार्यस्थल पर्यावरण।
2. आपको लिखित अनुबंध अधिकार है।
3. यहीजस्सीहीधकीआपकोकमीसोकमीनयूनतमीवेतनीकीभुगतानीधकयीजाएीनवीनतमीपरधतीघटीकीदरीजाननीकीधलरीपैवेबसाइटीपरीजाए।
4. आप परत्येक वर् 4 सप्ताह केवर् 4 अवकाश केअधिकार है, 12 महीने तक आपने अपने नियोक्ता केलिए काम करने केबाद।
5. आपको पूर वेतन पर 11 सार्वजनिक अवकाश लेने का अधिकार है,(यदि सार्वजनिक अवकाश एक दिन है यदि सार्वजनिक अवकाश एक दिन है जस पर आप सामान्य रूप से काम करते)
 - यदि आपका रोजगार अनुबंधैसा कहता है, आपका नियोक्ता आपको सार्वजनिक अवकाश पर काम करने केलिए कह या मणि सकता है. यदि आप सार्वजनिक अवकाश पर काम करते बब ये आपकेअधिकार)
 - उस दिन केलिए अपने सामान्य वेतन का 1.5 गुना भुगतान किया जाए ; तथा
 - एक और अवकाश प्राप्त करने केलिए (यदि आपकेद्वारा काम किया गया सार्वजनिक अवकाश एक ही दिन है जो आप सामान्य रूप से काम करते)
6. यदि आप 6 महीने केलिए अपने नियोक्ता द्वारा नियो जत किए गए)ओ आप इन परि स्थितियो भुगतान करने केहकदार)
 - 5 दिन बीमारी की छुट्टी (भुगतान केसाथ)
 - 3 दिनोतक केलिए शोक अवकाश (भुगतान केसाथ), आपकेपति या पत्नी, साथी, माता-रपता, बच्चे, सहोदर, दादा-दादी, पोते या आपकेपति या पत्नी केमाता-रपता की मृत्यु पर
 - अगर ऊपर उल्लेखित किसी भी क्य त की मृत्यु नहीं हुई है, तो आपको 1 दिन का भुगतान किया गया अवकाश (भुगतान केसाथ) दिया जाता है और यदि आपका नियोक्ता स्वीकार करता है कि आपको शोक का सामना करना प है; तथा
 - 10 दिनोका भुगतान किया गया घरेलू हिंसा अवकाश।
7. ख राम और भोजन का अधिकार है। आराम करने और खाने केब्रेक केलिए आपका हक इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पारी कितनी लंबी है। आप अपनी न्यूनतम पात्रता का खवरर यहीपा सकते) www.employment.govt.nz।
8. यदि आपने अपने नियोक्ता केलिए 6 महीने तक काम किया है, तो पैतृक अलगाव की छुट्टी और पैतृक अलगाव की छुट्टी केभुगतान का अधिकार प्राप्त होती है। छुट्टी की अवधइस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने नियोक्ता केलिए कितनी देर तक काम किया है।
9. आपकेद्वारा काम किए गए समय, अवकाश और अवकाश पात्रता का खवरर मणाने का अधिकार।
10. अपने वीजा की स्थिति केकारर आपका शो ब होने का अधिकार।

सहयोग की आवश्यकता?

यदि आप समझते हैं कि आपको जानबूझकर अपने न्यूनतम रोजगार अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो अपने नियोक्ता से बात करें या सुपर लिकर सहायता कार्यालय से संपर्क करें:

- 0800 547867 पर कॉल करना;
- ईमेल (Email) - support@superliquor.co.nz
- सुपर लिकर सपोर्ट ऑफिस में अपने फ्रेंचाइज़ी मैनेजर के साथ ईमेल करना या बोलना। यदि आप उनके संपर्क विवरण के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए 0800 547867 पर कॉल कर सकते हैं।

अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

आप www.employment.govt.nz पर अपने न्यूनतम रोजगार अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर माओरी, चीनी, हिंदी, कोरियाई, पंजाबी, सामोन, तागालोग, थाई, टोंगन और वियतनामी सहित 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। Www.employment.govt.nz> रोजगार शुरू करना> अधिकार और जिम्मेदारियां> अन्य भाषाओं में न्यूनतम अधिकार